राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 156/2015/जोधपुर.

श्री गजेसिंह आत्मज स्व0 श्री तिलोकराम जाति माली
निवासी माता का थान, ग्राम मगरा पूँजला, जोधपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, द्वितीय, जोधपुर.
2. उप–पंजीयक, पाली
3. श्री शिवप्रकाश आत्मज श्री लालचन्द जाति सोनी
   निवासी शाहपुरा मोहल्ला मोती चौहटा, जोधपुर
4. स्व0 तिलोकराम – फौत
   4.1 श्रीमती बाईचन्दिया पत्नी स्व0 श्री तिलोकराम
   4.2 श्री अचलाराम पुत्र स्व0 श्री तिलोकराम
   4.3 स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री तिलोकराम
      4.3.1 श्रीमती जसोदा पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
      4.3.2 श्री अरूण पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
      4.3.3 श्री नवीन पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
   समस्त निवासीगण माता का थान, ग्राम मगरा पूँजला, जोधपुर.
      4.3.4 श्रीमती सपना पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह व पत्नी श्री सन्दीप गहलोत निवासी पडाला बेरा मण्डोर, जोधपुर.
   4.4 श्रीमती दमयन्ती पुत्री स्व0 श्री तिलोकराम व पत्नी श्री मदन मोहन गहलोत निवासी जीवनदास का कुंआ, नागौरी गेट, जोधपुर.
5. कलेक्टर (मुद्रांक) पाली वृत पाली. .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री के. जी. खत्री, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/02/2015

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी श्री गजेसिंह पुत्र स्व0 श्री तिलोकराम निवासी जोधपुर द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), वृत–पाली (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 96/2014 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण संख्या एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7645/2007 में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये इकरारनामा दिनांक 12.01.2004, जो कि पूर्ण मुद्रांकित एवं पंजीबद्ध नहीं है, के पूर्ण मुद्रांकन हेतु प्रकरण आदेश दिनांक 30.01.2013 से अपर जिला न्यायाधीश संख्या–6, जोधपुर महानगर को इस

लगातार.....2

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि सम्बन्धित कलेक्टर (मुद्रांक) से दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकित करवाया जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। उक्त निर्देशों के अनुसरण में अपर जिला न्यायाधीश संख्या—6, जोधपुर महानगर ने पत्र दिनांक 22.07.2013 से उक्त इकरारनामा दस्तावेज कलेक्टर (मुद्रांक) जोधपुर को प्रेषित कर पूर्ण मुद्रांकन हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 99/2003 दर्ज किया गया। इस दौरान प्रार्थी श्री गजेसिंह द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) जोधपुर के न्यायालय से न्याय प्राप्ति की आशा नहीं होने बाबत निवेदन किये जाने पर कलेक्टर (मुद्रांक) जोधपुर ने कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुदांक विभाग, राजस्थान, अजमेर से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। जिस पर महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के पत्र दिनांक 17.06.2014 से प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) वृत—पाली को स्थानान्तरित किया गया। इस पर कलेक्टर (मुद्रांक) पाली द्वारा प्रकरण संख्या 96/2014 दर्ज किया गया।

3. तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पक्षकार श्री तिलोकराम की दिनांक 04.02.2012 को मृत्यु हो जाने का कथन करते हुए, स्व0 श्री तिलोकराम के वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर, नोटिस तामील करवाने एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त प्रार्थना—पत्र आदेश दिनांक 08.01.2015 से इस आधार पर खारिज कर दिया कि कायम मुकाम से सम्बन्धित निर्णय सिविल न्यायालय का कार्यक्षेत्र है। अतः कायम मुकाम के सम्बन्ध में वे अपना वाद सक्षम सिविल न्यायालय में दायर कर सकते हैं। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

4. बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7645/2007 में माननीय न्यायालय द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही की जा चुकी है तथा स्व0 श्री तिलोकराम के वारिसान को रेकॉर्ड पर लिया जा चुका है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में संशोधित उनवान के आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि प्रकरण में मुख्य पक्षकार श्री तिलोकराम का दिनांक 04.02.2012 को देहान्त हो चुका है, जिसका मृत्यु प्रमाण—पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रश्नगत इकरारनामा दस्तावेज में विवादित सम्पत्ति की निर्धारित की जाने वाली मालियत एवं इस पर देय मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता का दायित्व

लगातार.....3

स्व0 श्री तिलोकराम के वारिसान पर ही डाला जा सकता है, अतः उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी प्रकार की मांग कायम किया जाना प्रथम दृष्टया ही विधिविरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर (मुद्रांक) को स्व0 श्री तिलोकराम के वारिसान को पक्षकार बनाते हुए सुनवाई हेतु नोटिस तामील करवाया जाना आवश्यक है। कलेक्टर (मुद्रांक) ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की है।

5. विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) के विवादित आदेश दिनांक 08.01.2015 के द्वारा किसी प्रकार की मांग सृजित नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में मुद्रांक अधिनियम की धारा 65(1) के तहत बाध्यकारी रूप से जमा करवाई जाने वाली 25 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

6. उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने निगरानी स्वीकार कर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को स्व0 श्री तिलोकराम के वारिसान को पक्षकार बनाते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का निवेदन किया।

7. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 65(1) के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुरूप 25 प्रतिशत राशि जमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है।

8. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन करते हुए कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन किया तथा प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की प्रारम्भिक आपत्ति रही है कि प्रार्थी द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 65(1) के तहत बाध्यकारी रूप से जमा करवाई जाने वाली 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई है, अतः प्रार्थी की निगरानी चलने योग्य नहीं रहती है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 08.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश से कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांक

लगातार.....4

31.07.2014, जो कि स्व0 श्री तिलोकराम के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने तथा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित है, बाबत पारित किया गया है, ना कि प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत निर्धारण तथा उस पर देय मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता के सम्बन्ध में। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा निगरानी अधीन आदेश से किसी प्रकार की मांग सृजित ही नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में 25 प्रतिशत राशि जमा कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। दौराने बहस विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक भी यह बताने में असफल रहे हैं कि निगरानी की ग्राह्यता हेतु किस राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये। ऐसी स्थिति में विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की आपत्ति चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

11. इस सम्बन्ध में मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

65. Revision by the Chief Controlling Revenue Authority -

(1) Any person aggrieved by an order made by the Collector under Chapter IV and V and under clause (a) of the first proviso to section 29 and under section 35 of the Act., may within 90 days from the date of order, apply to the Chief Controlling Revenue Authority for revision of such order:

Provided that no revision application shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of fifty percent of the recoverable amount.

(2) The Chief Controlling Revenue Authority may suo moto or on information received from the registering officer or **otherwise call for and examine the record of any case decided** in proceeding held by the Collector for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of the proceedings and pass such order with respect thereto as it may think fit:

Provided that no such order shall be made except after giving the person affected a reasonable opportunity of being heard in the matter.

12. अतः प्रार्थी की निगरानी मुद्रांक अधिनियम की धारा 65(2) के तहत सुनवाई हेतु ग्रहण की जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है।

13. पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–6, जोधपुर महानगर द्वारा प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को विवादित इकरारनामा दस्तावेज के पूर्ण मुद्रांकन हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त इकरारनामा दस्तावेज में श्री तिलोकराम पुत्र श्री उदाराम देवड़ा निवासी जोधपुर

लगातार.....5

एवं श्री शिवप्रकाश पुत्र श्री लालचन्द सोनी निवासी जोधपुर पक्षकार हैं। यह निर्विवादित है कि श्री तिलोकराम का देहान्त दिनांक 04.02.2012 को हो चुका है, जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र पत्रावली में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार स्व0 श्री तिलोकराम के वारिसान को रेकॉर्ड पर लिया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

14. कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण 96/2014 में विवादित सम्पत्ति की मालियत के निर्धारण एवं उस पर देय मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता स्व0 श्री तिलोकराम की बनती है, जबकि श्री तिलोकराम का देहान्त हो चुका है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी मृतक के विरूद्ध कोई मांग सृजित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में उक्त देयता उसके वारिसान द्वारा ही वहन की जावेगी। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध कोई मांग अथवा जुर्माना सृजित किया जाना है, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

15. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण में स्व0 श्री तिलोकराम के देहान्त के फलस्वरूप उनके वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाकर उनवान को संशोधित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर (मुद्रांक) का यह कथन अनुचित है कि कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम है। मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(7) में यह स्पष्ट प्रावधित है कि कलेक्टर (मुद्रांक) मालियत के निर्धारण हेतु साक्ष्यों एवं पक्षकारों को नोटिस तामील करवाने हेतु स्वयं सक्षम हैं। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप स्व0 श्री तिलोकराम के वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित करना चाहिये था। धारा 51(7) निम्न प्रकार है :–

51. Instruments under valued, how to be valued -

(7) For the purpose of inquiries under this section, the Collector shall have power to summon and enforce the attendance of witnesses, including the parties to the instrument or any of them, and to compel the production of documents by the same means, and so far as may be in the same manner, as is provided in the case of civil court under Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908).

16. कलेक्टर (मुद्रांक) के अभिलेख परीक्षण के सम्बन्ध में आदेशिका दिनांक 08.01.2015 का परीक्षण किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

"पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। श्री गजेसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निर्णय लिखा जाकर शामिल मिसल किया विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण हेतु पत्रावली वास्ते बहस एवं निर्णय हेतु दिनांक 10/2/15 को पेश हो। निर्णय न्यायालय में सुनाया गया।"

लगातार.....6

17. उक्त आदेशिका से प्रतीत है कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय हेतु दिनांक 10.02.2015 नियत की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण आज दिनांक 09.02.2015 को लिखाया जाकर सुनाया जा रहा है ।

18. उक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए, कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2015 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया है। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) का आदेश दिनांक 08.01.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्व0 श्री तिलोकराम के वारिसान यथा इस निगरानी के प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 4, 4.1 से 4.3 एवं 4.3.1 से 4.3.4 को सुनवाई हेतु नियमानुसार नोटिस तामील करवाने तथा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

19. परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को उपरोक्त निर्देशानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है।

20. निर्णय सुनाया गया।

09/02/2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य